अति आवश्यक

पत्रसंख्या//स्था-5ख-पदोन्नति-वा0क0अ0-2016-17// 5992 // वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित)

लखनऊ // दिनॉक // फरवरी 22, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वाणिज्यकर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों हेतु शासनादेश संख्या-7/18/1/2008/का-2/2015 दिनांक 28-07-2015 के अनुसार 03 प्रतिशत रिक्तियॉ विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से 01-01 प्रतिशत रिक्तियॉ (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण ह्रास और (3) चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रसित व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगी।

वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार चयन वर्ष के प्रथम दिवस को एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले लिपिक संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रधान सहायक एवं आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत कार्मिक ही पात्रता सूची में सम्मिलित किये जा सकते है। लिपिक संवर्ग / आशुलिपिक संवर्ग की वर्तमान में प्रभावी ज्येष्ठता सूचियों में (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण ह्रास और (3) चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों का अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने जोन में लिपिक संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रधान सहायक तथा आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत कार्मिकों में से उपरोक्त तीनों श्रेणी के विकलांग कार्मिकों की सम्पूर्ण जोन स्तर की संकलित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008 दिनांक 03-02-2008 के साथ संलग्न प्राविधान एवं दिशा-निर्देश के बिन्दु-9 के अनुसार कम से कम तीन सदस्यीय सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र सहित प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचना के साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है कि जोन के अन्तर्गत उक्त पदों पर कार्यरत विकलांग श्रेणी के अन्य किसी कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना भिजवाया जाना शेष नहीं है। जहॉ एक ही जनपद में एक से अधिक जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 तैनात है, वहां जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, प्रथम के स्तर से जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय की संकलित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक// निर्धारित प्रारुप।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उपरोक्त की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

2- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय से कि उपरोक्त वांछित सूचना कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर को सीधे भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उनके स्तर से संकलित सूचना मुख्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की जा सके।

3- पटल प्रभारी स्था-5(क) / स्था-5 (ग) को तदनुसार अनुपालनार्थ।

22-02-17

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्था0 अराज0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5262
22-02-17

प्रारूप

वाणिज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रधान सहायक एवं आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण ह्रास और (3) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित कार्मिकों की जोन स्तर की संकलित सूचना

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम / पिता का नाम	पद नाम / वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	विकलांगता की श्रेणी			सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र	सेवाभिलेखो में सत्यापित है अथवा नहीं	नियुक्ति विकलांगता की आरक्षित श्रेणी में की गई है अथवा नहीं।
				दृष्टिहीनता या कम दृष्टि	श्रवण ह्रास	चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज)			

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जोन के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रधान सहायक, एवं आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत उपरोक्त कार्मिकों के अतिरिक्त विकलांग श्रेणी के अन्य किसी कार्मिक के सम्बन्ध में सूचना भिजवाया जाना शेष नहीं है।

हस्ताक्षर-सक्षम प्राधिकारी